संख्याः737 / एक–10–2020–33(36) / 2018 टीसी–2

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
खीरी, सीतापुर, गोरखपुर , बाराबंकी एवं बस्ती।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांकः 09 नवम्बर, 2020

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने एवं नाव किराये/नाविक मजदूरी आदि में हुए व्यय के भुगतान के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपदों में आई बाढ़ के दृष्टिगत प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को दी गयी राहत सहायता प्रदान किये जाने एवं नाव किराये/नाविक मजदूरी आदि में हुए व्यय के भुगतान के लिये बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 में **रू0 1549.88 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ उन्चास लाख अटठासी हजार मात्र)** की धनराशि, कालम–2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम–3 में अंकित धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
(1)	(2)	(3)
1	खीरी	320.00
2	सीतापुर	312.48
3	गोरखपुर	300.00
4	बाराबंकी	500.00
5	बस्ती	117.40
	योग	1549.88
		(रू0 पन्द्रह करोड़ उन्चास लाख अटठासी हजार मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में बाढ़ मद में आवंटित धनराशि का नियमानुसार उपयोग कर लिया जाय तथा आवंटित किये जाने वाली धनराशि का उपयोग राज्य आपदा मोचक

निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना आदि जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–02–बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

Digitally signed by रेणुका कुमार
Date:Fri Nov 06 13:24:52 IST 2020
Reason: Approved

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–737(1)/एक–10–2020–33(36)/2018 टीसी–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष :-2020-2021
आवंटन दिनांक :-09/11/2020

प्रेषण संख्या:- 737
आवंटन आदेश संख्या:- 180-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	30000000	30000000
		प्रगामी	152000000	152000000
2	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	11740000	11740000
		प्रगामी	78740000	78740000
3	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	31248000	31248000
		प्रगामी	163435000	163435000
4	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	32000000	32000000
		प्रगामी	164000000	164000000
5	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	99500000	99500000
	योग	वर्तमान	154988000	154988000
		प्रगामी	657675000	657675000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ उनचास लाख अठासी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंसठ करोड़ छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिक
(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन